

प्रपत्र:-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:- 328 सेवा केन्द्र, पामला झूरी

प्रकरण सं:- 84/2018

दिनांक:- 11.6.2018

क्रमांक:- लो.अदा./2018/1408

### आदेश

वादी के वाद पत्र एवं पटवारी पामला झूरी व भू.अ.नि. पामला झूरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसरण में ग्राम लूणा झूरी तहसील, सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2070-73 में खाता संख्या 11 में वर्तमान में अशुद्ध प्रविष्टि पृथ्वीराज पुत्र खेमाराम के स्थान पर पृथ्वीराज पुत्र खेमाराम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

दिनांक:- 11/06/2018

क्रमांक:- लो.अदा./2018/1409-11

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री पृथ्वीराज / खेमाराम निवासी लूणा झूरी तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी